एम.एम. कुमार एवं टी.पी.एस. मान, जे जे. के समक्ष।

संजय शर्मा,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-प्रतिवादी

*सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक **9510/सीएटी 2007***

22 मार्च 2011

*भारत का संविधान, **1950**—अनुच्छेद **226**—चंडीगढ़ प्रशासन खेल विभाग (समूह *सी') तकनीकी भर्ती नियम, **1990**—खेल विभाग, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (समूह 'सी') (गैर-मंत्रालयी पद) भर्ती नियम, **2004**— पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति - ट्रिब्यूनल ने आवेदक को 'पुरानी रिक्ति के पुराने नियम **9**' के सिद्धांत को लागू करके **1990** के नियमों के अनुसार पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने का हकदार माना है - नियम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार नहीं करते हैं - नियुक्ति स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है - अलग-अलग विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों की स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति को पदोन्नति के समकक्ष नहीं माना जा सकता- 'पुरानी रिक्ति का सिद्धांत, पुराना नियम' लागू नहीं - **2004** के नियमों के अनुसार पहले से ही चयन प्रक्रिया को तदनुसार प्रभावी करने का आदेश दिया गया है। माना गया कि **2004** के नियमों के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि **50%** पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं और शेष **50%** चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से स्थानांतरण द्वारा और अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हैं। नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह लगे कि नियुक्ति प्रोन्नति से की जायेगी. इसलिए, हम ट्रिब्यूनल के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं कि जो विभागीय उम्मीदवार पात्र हैं, उन्हें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यह आवश्यक रूप से एक नियुक्ति है जो पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से भिन्न है। ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया विचार कि इस तरह के नियम को 'प्रत्यक्ष भर्ती' शब्द के उपयोग के विपरीत 'पदोन्नति' कहा जा रहा है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नियम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार नहीं करते हैं। इसके अलावा, यह माना गया कि चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति को पदोन्नति के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। एक बार जब हमने विवाद का फैसला कर लिया कि 'पुरानी रिक्ति पुराने नियम' का सिद्धांत वर्तमान मामले पर*

*लागू नहीं होगा तो याचिकाकर्ता के परिणाम का सीलबंद लिफाफा यू.टी. द्वारा खोला जाना है। प्रशासन चंडीगढ़ और तदनुसार प्रभाव दिया गया क्योंकि चयन प्रक्रिया **2004** के नियमों के अनुसार की गई थी।*

(पैरा 11)

रमन बी गर्ग, याचिकाकर्ता के वकील।

*के.के. गुप्ता, प्रतिवादी क्रमांक **2** से **4** के वकील।*

*प्रबोध मित्तल, प्रतिवादी संख्या **5** के वकील।*

एम.एम. कुमार, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्तता के लिए, 'न्यायाधिकरण') की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 मई, 2007 (पी-7) के खिलाफ निर्देशित है खेल विभाग, यू.टी., चंडीगढ़ में पर्यवेक्षक का पद, जो एक समूह 'सी' गैर-मंत्रालयी पद है, को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को लागू करके 50% कोटा के तहत भरा जाना है। *वाई.वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव*, [1]के मामले में दिए गए निर्णय सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर, ट्रिब्यूनल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 'पुरानी रिक्ति पुराने नियम' का सिद्धांत लागू होगा और, इसलिए, मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 अरुण कुमार को लागू नियमों के अनुसार पर्यवेक्षक के उपलब्ध पद के लिए विचार किए जाने का हकदार माना गया। संशोधन से पहले उन्हें अन्यथा पुराने नियमों के तहत पात्र माना गया था। तदनुसार, प्रतिवादी-चंडीगढ़ प्रशासन को एक निर्देश जारी किया गया है कि वह चंडीगढ़ प्रशासन खेल विभाग (समूह 'सी') तकनीकी भर्ती नियम, 1990 के तहत अन्य विभागीय उम्मीदवारों के साथ पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके मामले पर विचार करे (संक्षिप्तता के लिए '1990 नियम') और यदि डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाया जाता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाने वाली तिथि से पदोन्नति प्रदान करें।

(2) सबसे पहले उन तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनके कारण तत्काल याचिका दायर की गई है। मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 श्री अरुण कुमार ने 2004 की ओ.ए. संख्या 644-सीएच दायर करके ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और निर्देश मांगा कि वह पर्यवेक्षक के पद

[1] **(1)1983 (3)**एस.सी.सी**. 24**

पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल के समक्ष उनका मामला यह था कि उन्होंने मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में और 10+2 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। उन्हें 8 सितंबर, 1990 को चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग में बोटमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहली और दूसरी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में विशिष्टता हासिल की और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में भी भाग लिया। उन्होंने 13 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया और उनका सेवा रिकॉर्ड साफ़-सुथरा रहा है। उनका मामला आगे यह था कि पदोन्नति के माध्यम से पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति केवल आगे बढ़ने का एक रास्ता है और पद को 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% स्थानांतरण द्वारा विभागीय उम्मीदवारों में से चयन द्वारा भरा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कोई कोटा नहीं था। उनके द्वारा दिए गए कथन के अनुसार, पर्यवेक्षक का एक पद 26 मई, 2004 को हुए 1990 के नियमों के संशोधन से पहले 2003 से रिक्त था। संक्षेप में उनका दावा यह था कि उन्हें पदोन्नति के लिए रिक्ति को नियंत्रित करने वाले पुराने नियमों के अनुसार विचार करने की आवश्यकता थी, न कि खेल विभाग के बाद के नियमों के अनुसार। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (समूह 'सी' गैर-मंत्रालयी पद) भर्ती नियम, 2004 (संक्षिप्तता के लिए, '2004 नियम')। उन्होंने 1990 के नियम लागू करने की मांग की है. यू.टी. प्रशासन चंडीगढ़ के अलावा, मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 ने भारत संघ को भी एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, हालांकि याचिकाकर्ता श्री संजय शन्ना ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष नहीं थे। पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 1990 और 2004 के नियमों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि 1990 के नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ मैट्रिक की योग्यता निर्धारित की गई है। एक अच्छे खिलाड़ी को प्रमुख मान्यता प्राप्त खेलों के विशेष संदर्भ में मैदानों और उपकरणों के रखरखाव के अनुभव के अलावा स्टेल लेवल चैंपियनशिप में डिस्टिंक्शन (1.11,111 स्थान) प्राप्त करना आवश्यक है। वांछनीय योग्यता स्नातक है। दूसरी ओर, 2004 के नियमों में, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 परीक्षा या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना, खेल टूर्नामेंट आयोजित करने का ज्ञान या राज्य टूर्नामेंट में भाग लेने की आवश्यकता है। प्रमुख मान्यता प्राप्त खेलों के विशेष संदर्भ में मैदान/खेल मैदानों के रखरखाव में अनुभव होना। इसलिए, 1990 के नियमों के तहत द्वितीय श्रेणी के साथ मैट्रिक पास व्यक्ति को पात्र बनाया गया है, लेकिन 2004 के नियमों के तहत, द्वितीय श्रेणी के साथ 10+2 वाले व्यक्ति को पात्र बनाया गया है। यह विवादित नहीं है कि

मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 अरुण कुमार के पास 10+2 में द्वितीय श्रेणी नहीं थी, जबकि याचिकाकर्ता के पास 10+2 द्वितीय श्रेणी की योग्यता है, लेकिन पुराने नियमों के अनुसार उसके पास द्वितीय श्रेणी के साथ मैट्रिक की योग्यता नहीं है। . इसलिए, मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष यह विवाद उठाया गया था कि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति पुराने नियमों से होगी और वह पुराने नियमों के तहत निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं।

(3) ट्रिब्यूनल के समक्ष यूटी प्रशासन का रुख यह था कि '1990 नियम' के नियम 4 के तहत, पद को अनुसूची में निर्धारित योग्यता, आयु सीमा और अन्य संबंधित मामलों के अनुसार भरा जाना चाहिए। पर्यवेक्षक के संबंध में स्थानांतरण द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% विभागीय उम्मीदवारों में से चयन द्वारा भरने के लिए प्रदान की गई अनुसूची। यू.टी प्रशासन द्वारा एक विशिष्ट रुख यह भी अपनाया गया है कि पदोन्नति पर पद भरने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं था। यू.टी. प्रशासन द्वारा लिखित बयान में दिए गए कथनों के अनुसार, पर्यवेक्षकों के तीन रिक्त पद थे और उनमें से दो सीधे कोटा के हिस्से में आते थे और उनमें से एक को विभागीय उम्मीदवारों के चयन से स्थानांतरण द्वारा भरा जाना था। उनके रुख के अनुसार, पद की आवश्यकताओं के अनुसार योग्यता निर्धारित करना सक्षम प्राधिकारी का विशेषाधिकार था जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को अधिसूचित करके किया गया है और मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 के पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं थीं।

(4) ट्रिब्यूनल ने दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों द्वारा दिए गए एक सहमत बयान को दर्ज किया कि पर्यवेक्षक की रिक्ति 2004 के नियमों के लागू होने से पहले उत्पन्न हुई थी, जिसे 26 मई, 2004 को अधिसूचित किया गया था। ट्रिब्यूनल ने मूल आवेदक-प्रतिवादी नंबर 5 के तर्कों पर ध्यान दिया कि 'पुरानी रिक्ति पुराने नियम' का सिद्धांत वाई वी रंगैया (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले के आधार पर लागू किया जाना है और अन्य मामले जिनका उल्लेख आक्षेपित आदेश में किया गया है। इसके बाद, ट्रिब्यूनल ने निम्नानुसार राय व्यक्त की है: -

“हमने यह भी देखा है कि नए नियमों के तहत, पर्यवेक्षक के पदों पर 50% नियुक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा की जानी हैं।”जबकि शेष 50% पात्र पाए जाने वाले विभागीय अभ्यर्थियों को अवसर देकर भरा जाना है। इसे आम तौर पर 'पदोन्नति' कहा जा रहा है क्योंकि यह 'सीधी भर्ती' के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से अलग है। ऐसी व्याख्या को अवैध नहीं कहा

जा सकता. हालाँकि, कानून के तहत इस स्थिति पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि आवेदक के पास 1990 के पुराने नियमों के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के लिए बेहतर दावा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस ओ.ए. को उत्तरदाताओं को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपर्युक्त नियमों, 1990 के तहत अन्य विभागीय उम्मीदवारों के साथ-साथ पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक के मामले पर विचार करें और, यदि वह डीपीसी द्वारा उपयुक्त पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनी जाने वाली तिथि से उसे पदोन्नत किया जा सकता है। पर्यवेक्षक के पद के लिए विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्धारित एक रिक्ति की इस सीमा तक, पत्र/मांग, अनुबंध ए-1 दिनांक 15 जून, 2004 को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है। हालाँकि, 2004 के नए नियमों को अवैध घोषित करने के लिए आवेदक की प्रार्थना खारिज कर दी गई है क्योंकि हमें इसके लिए कोई आधार नहीं मिला है। वैकल्पिक रूप से, नियमों के प्रावधानों को शिथिल करने की उनकी आगे की प्रार्थना भी खारिज कर दी गई है।"

(5) रिट याचिकाकर्ता, जो ट्रिब्यूनल के समक्ष एक पक्ष नहीं था, ने ट्रिब्यूनल के उपरोक्त दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता के कहने पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि वह ट्रिब्यूनल के समक्ष एक पक्ष नहीं था और न ही उसने ट्रिब्यूनल के समक्ष समीक्षा दायर करने के उपाय का लाभ उठाया है। . यू.टी. के लिए विद्वान वकील प्रशासन ने भी मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन किया। हालाँकि, रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके न्यायाधिकरण के फैसले को पलटा नहीं जा सकता है (संक्षिप्तता के लिए, '1985 अधिनियम') जिस पर केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया जा सकता है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने *एस. साई बाबू बनाम अग्निशमन सेवा महानिदेशक, ए.पी. टैंक बंड रोड, हैदराबाद और चार अन्य* [2] के मामले में दिए गए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया है। (2) और तर्क दिया कि यदि कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित है तो उसके

[2] 2006 (5) एस.एल.आर. 458

लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देना होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि जहां तक ट्रिब्यूनल के आदेश का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान है और वह *पंजाब राज्य (अब हरियाणा) और अन्य बनाम अमर सिंह और अन्य.* [3] के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन चाहते हैं।

(6) प्रारंभिक मुद्दे पर दलीलें सुनने के बाद, हमने पाया कि ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित व्यक्ति के लिए सीधे इस न्यायालय से संपर्क करने पर कोई रोक नहीं है। सबसे पहले समीक्षा का उपाय कोई नियमित उपाय नहीं है जिसे याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में लागू कर सकता था। इसके अलावा, समीक्षा की मांग केवल निर्दिष्ट आधारों पर की जा सकती है जो 1985 अधिनियम की धारा 22 (3) (एफ) के तहत प्रतिबंधित हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, ट्रिब्यूनल को अपने निर्णय की समीक्षा से संबंधित मामले के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 114 के साथ पठित आदेश एक्सएल VII नियम 1 के तहत निर्दिष्ट आधारों पर समीक्षा की मांग की जा सकती है, अर्थात्, नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज जो पार्टियों के ज्ञान में नहीं थी या उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था। समीक्षा के अन्य आधार यह हैं कि यह रिकॉर्ड के तथ्य पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्पष्ट त्रुटि है। समीक्षा की मांग तभी की जा सकती है जब कोई अपील दायर नहीं की गई हो। उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए, हम *गोपाबंधी बिस्वाल बनाम कृष्ण चंद्र मोहंती और अन्य* [4] के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 10 और 11 पर भरोसा करते हैं, जो इस प्रकार है: -

*'10. हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष दो समीक्षा याचिकाएँ दायर करने वाले चार आवेदक मुख्य याचिका में पक्षकार नहीं थे। वे इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका में भी पक्षकार नहीं थे जिसे खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, वे पीड़ित पक्ष हैं और इसलिए ट्रिब्यूनल के मुख्य फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। उनका तर्क है कि ट्रिब्यूनल के फैसले में कहा गया है कि पुलिस

[3] एआईआर 1974 एस.सी. 994

[4] (4) (1998)4 एस.सी.सी. 447

उपाधीक्षक और सहायक कमांडेंट के दो कैडर 5 नवंबर, 1980 तक एक ही कैडर थे, जिससे आवेदकों की पदोन्नति की संभावना प्रभावित हुई है और, इसलिए, आवेदक, व्यथित व्यक्ति होने के नाते, ऐसी समीक्षा याचिकाएं दायर करने के हकदार हैं, जो वे पहले के फैसले के साथ-साथ पहले की विशेष अनुमति याचिका में भी पक्षकार नहीं थे। फिलहाल हम यह मान लेंगे कि आवेदक पीड़ित व्यक्ति हैं। फिर भी, सवाल यह है कि क्या वे ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो इस न्यायालय के एक आदेश के आधार पर अंतिम रूप ले चुका है, जिसे समीक्षा में रद्द कर दिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य निर्णय के पक्षकारों के बीच होने के कारण निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसलिए, प्रतिवादी, उड़ीसा राज्य और भारत संघ, गोपबंधु बिस्वाल के मामले में 1989 के टीए नंबर 1 में ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रभावी करने के लिए बाध्य हैं। यदि ऐसा है, तो क्या कोई तीसरा पक्ष समीक्षा याचिका दायर करके उसी निर्णय की समीक्षा करवा सकता है और यह आदेश प्राप्त कर सकता है कि गोपबंधु बिस्वाल मुख्य निर्णय में निहित निर्देशों का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वह निर्णय अब रद्द कर दिया गया है? हमारे विचार में यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इससे उस मामले को फिर से खोला जा सकेगा जो इस न्यायालय के एक आदेश के आधार पर अंतिम रूप ले चुका है। आवेदकों को, भले ही वे व्यथित व्यक्ति हों, वर्तमान मामले में, आदेश 47 नियम 1 के किसी भी भाग के तहत समीक्षा का अधिकार नहीं है।

आदेश 47 नियम 1 (2) के तहत भी, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील नहीं करने वाला पक्ष केवल अपील के आधारों के अलावा अन्य आधारों पर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जो अपीलीय अदालत के समक्ष थे, और अपील के लंबित रहने के दौरान। वर्तमान मामले में समीक्षा में जिन सभी आधारों का आग्रह किया गया था, वास्तव में, ट्रिब्यूनल के समक्ष उस समय आग्रह किया गया था जब ट्रिब्यूनल ने मुख्य आवेदन पर फैसला किया था और याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति याचिका में भी उनका आग्रह किया गया था जो इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है. उन्हीं आधारों को किसी अन्य पक्ष द्वारा समीक्षा याचिका के माध्यम से दोबारा आग्रह नहीं किया जा सकता जो मुख्य याचिका में एक पक्ष नहीं था।

11. आवेदकों के अनुसार, कुछ दस्तावेज़ हालांकि ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन मुख्य मामले का फैसला करते समय ट्रिब्यूनल द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी, एक बार ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम हो जाने के बाद, उस फैसले के खिलाफ विशेष

अनुमति याचिका खारिज होने के बाद इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है। जो व्यक्ति उस फैसले को चुनौती देना चाहता है, उसके लिए एकमात्र उपाय यह है कि वह अपने मामले में ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अलग आवेदन दायर करे और ट्रिब्यूनल को या तो प्रश्न को बड़ी बेंच के पास भेजने के लिए राजी करे, या, यदि ट्रिब्यूनल अपने पहले के फैसले का पालन करना पसंद करता है, तो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाए और अपील में ट्रिब्यूनल के फैसले को अलग रखा जाए। समीक्षा कोई उपलब्ध उपाय नहीं है।"

(7) तदनुसार, हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल को याचिकाकर्ता को समीक्षा का उपाय देने की शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। किसी भी मामले में आधार सीमित हैं, जिससे पता चलता है कि इन आधारों को केवल वही व्यक्ति उठा सकता है, जो पिछली कार्यवाही में एक पक्ष था। एस साई बाबू (सुप्रा) के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की निर्भरता अच्छी तरह से आधारित है और *एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ*[5] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देकर कानून की स्थिति को पैरा 23, 24 और 25 पर संक्षेपित किया गया है। डिवीजन बेंच के फैसले के पैरा 23, 24 और 25 इस प्रकार हैं: -

"23. कानून के वे क्षेत्र, जिनके लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया अदालत के रूप में कार्य करता है, वे प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 15 और 19 में निर्दिष्ट हैं। जबकि एक प्रशासनिक या विधायी कार्रवाई के लिए एक चुनौती, कानून के उन क्षेत्रों में जिनके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, केवल पहली बार में ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को लागू करके ही बनाया जा सकता है, जो व्यक्ति ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, वह ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने का हकदार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए? हमारी राय में, इसका उत्तर आवश्यक रूप से नकारात्मक होना चाहिए। किसी को ट्रिब्यूनल के निर्णय और उसमें निर्धारित अनुपात के बीच अंतर को ध्यान में रखना होगा। जबकि ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतर पक्षों के लिए बाध्यकारी है, निर्धारित अनुपात केवल एक बाध्यकारी मिसाल बनेगा, जब ट्रिब्यूनल की अगली बेंच के समक्ष विचार के लिए एक समान प्रश्न उठता है। ट्रिब्यूनल के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की

[5] (5) एआईआर 1997 एस.सी. 1125

डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, या तो निर्णय के किसी पक्ष द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, जो पक्ष नहीं है, लेकिन इससे व्यथित है। हालाँकि, यदि ट्रिब्यूनल के फैसले के परिणामस्वरूप किसी प्रशासनिक कार्रवाई को ट्रिब्यूनल के पहले के फैसले के बिना ही चुनौती दी जानी है, तो उसे पूछताछ कहा जाएगा, तो पीड़ित व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले अनिवार्य रूप से ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना होगा।

(24) तर्क, कि ट्रिब्यूनल के पहले के फैसले से व्यथित व्यक्ति, जिसमें वह एक पक्ष नहीं था, को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन दाखिल करते समय ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, यह [एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, एआईआर 1997 एससी 1125] और [के अजीत बाबू बनाम भारत संघ, एआईआर 1997 एससी 3277] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संयुक्त पाठन पर आधारित है। संक्षेप में, प्रस्तुतीकरण यह है कि चूंकि एल. चंद्र कुमार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया अदालतों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे और जैसा कि के. अज इट बाबू में यह निर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत, न्यायाधिकरण के पहले के आदेश के खिलाफ एक आवेदन दायर किया जा सकता है, एक व्यक्ति जो ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित है, लेकिन पहले की कार्यवाही में एक पक्ष नहीं था, उसे पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन के माध्यम से ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना होगा और ट्रिब्यूनल से आदेश आमंत्रित करने के बाद ही वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का हकदार होगा। इस दलील को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। निर्णय केवल वही अधिकार है जो वह वास्तव में तय करता है। किसी निर्णय में जो सार है वह उसका अनुपात है और न ही उसमें किया गया प्रत्येक अवलोकन और न ही उसमें किए गए विभिन्न अवलोकनों से तार्किक रूप से क्या निकलता है। न तो एल. चंद्र कुमार और न ही के. अजीत बाबू के मामले में यहां उठाया गया सवाल विचार के लिए उठा।

(25) अन्यथा भी, एल. चंद्र कुमार और के. अजीत बाबू मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं। जबकि एल. चंद्र कुमार 1 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ट्रिब्यूनल प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करेगा जहां

प्रशासनिक या विधायी कार्रवाई चुनौती का विषय है, फैसले में यह नहीं कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के न्यायिक आदेश के खिलाफ भी जो व्यक्ति व्यथित है, लेकिन कार्यवाही में पक्ष नहीं था, उसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 19 के तहत आवश्यक रूप से एक आवेदन दायर करना होगा और उसके बाद ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।

(8) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम योग्यता के आधार पर विवाद का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

(9) हमारे विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या नियम याचिकाकर्ता के साथ-साथ पर्यवेक्षक के पद के लिए मूल आवेदक-प्रतिवादी संख्या 5 के मामले पर पदोन्नति के माध्यम से या पदोन्नति के अलावा किसी अन्य तरीके से विचार करने का प्रावधान करते हैं। .'

1990 एवं 2004 दोनों नियमावली में विचारित पदोन्नति के अतिरिक्त अन्य पद्धति से नियुक्ति की प्रकृति एक समान है। इसलिए, हम 2004 के नियमों के प्रावधानों का हवाला देते हैं, जो इस प्रकार हैं: -

(10) पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान, अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(4) भर्ती की विधि, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि-उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं

इससे जुड़े अन्य मामले अनुसूची के कॉलम 5 से 15 में निर्दिष्ट होंगे।

Xu me of pm:	X	CIHSMOC- Mion of poM	Scale of pay	Whether select ion post or non-selecrion post	X	X	educational X and other qualifications required for direct recruitment		Period of Probati on if any	Method of Recruit-ment, w het her bv direct recruit-ment or by	In case of recruitment by promotion/ deputation/ iransfet, grades from which promotion/ deputation Iransfet is io be made	X	X
1	2	.1	4	5	0	7	8	9	IU	11	12	1.1	1*1

Super-visor	X	General Central Civil Services (Group •C'| Non- mi nisi erial	Rs 5,400-160-5.800-200-7.000-220-8.100-275- 8.925	Selection by Merit in case of direct recruitment	X	X	(i) Should have passed 10+2 Examination or Senior Secondary Pan-II Examination from a recognised Hoard or Institution in 2nd Division. (ii) Having knowledge of organizing sports tournaments or participation in State Tournaments (iii) Having experience in maintenance of grounds/sports fields with particular reference to the major recognized games	X	Two years	(i) 50% by direct recruitment (ii) SO*/, by transfer from the departments of Chandigarh Ad mini st ration, falling which by deputation	By transfer ; from amongst the depart menial officials of the Chandigarh who fulfill ■he essential qualification. By Deputation : Erom amongst those holding analogous posts tn the Slate Governments of Punjab or Haryana or Chandigarh Administration on regular basis in the identical or same

(10) उपरोक्त निकाले गए नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं और शेष 50% चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से स्थानांतरण द्वारा और अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हैं। नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह लगे कि नियुक्ति प्रोन्नति से की जायेगी. इसलिए, हम ट्रिब्यूनल के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं कि जिन विभागीय उम्मीदवारों को पात्र बनाया गया है, उन्हें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यह आवश्यक रूप से एक नियुक्ति है जो पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से भिन्न है। ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया यह विचार कि इस तरह के नियम को 'सीधी भर्ती' शब्द के उपयोग के विपरीत 'पदोन्नति' कहा जा रहा है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि नियम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार नहीं करते हैं। यदि वह निष्कर्ष सही है तो अगला प्रश्न यह होगा कि क्या वाई.वी. रंगैया के मामले में दिए गए निर्णय का अनुपात और अन्य मामले लागू होंगे ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि 'पुरानी रिक्ति पुराने नियम' का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित है। उपरोक्त सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि लंबे समय से फीडर कैडर में काम करने वाले कर्मचारी का अधिकार, जिसने पदोन्नति के लिए पात्रता हासिल कर ली है, उसके करियर में आगे बढ़ने की उसकी वैध उम्मीद खत्म न हो जाए।नियमों में संशोधन से पदोन्नति के लिए अयोग्य होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे निहित अधिकार की प्रकृति में एक अधिकार माना जाता है और कानून ने ऐसे

अधिकार को सुरक्षा प्रदान की है ताकि किसी पद पर बैठे व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। हालाँकि, ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं होगा जब कोई नियुक्ति स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी हो जैसा कि 2004 के नियमों की अनुसूची की प्रविष्टि 4 के साथ पढ़े गए नियम 3 और 4 में माना गया है। जब किसी व्यक्ति को स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो इसमें वैध अपेक्षा का कोई तत्व शामिल नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से निहित अधिकार की प्रकृति में कोई अधिकार नहीं होगा। यह कहना कि स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति पर विचार करने वाला नियम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का दूसरा नाम होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए, वाई.वी. रंगैया के मामले (सुप्रा) के नेतृत्व में निर्णय के कैटेना में निर्धारित सिद्धांत का स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामलों में कोई आवेदन नहीं होगा। उपरोक्त दृष्टिकोण के समर्थन में, हम *इंदर जीत खुराना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[6] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हैं।उस मामले में तहसीलदार के पद पर पदोन्नति को हरियाणा राजस्व (समूह 'बी') सेवा नियम 1988 नामक वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित किया गया था।तीन फीडर चैनल थे, अर्थात् 40% पद पदोन्नति द्वारा और अन्य 40% सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते थे। शेष 20% पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाने थे और चार अलग-अलग विभागों के उम्मीदवार विचार के दायरे में थे। यह तर्क कि स्थानांतरण द्वारा 20% कोटा पद पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों अर्थात् वरिष्ठता-सह-योग्यता को लागू करके भरा जाना चाहिए, खारिज कर दिया गया है और 'स्थानांतरण द्वारा' और 'पदोन्नति द्वारा' नियुक्ति के बीच अंतर को पैरा 12 में निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

"12. तहसीलदार का पद राजस्व विभाग में जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों आदि से बने पदानुक्रम में है। वहीं दूसरी ओर, जिलेदार सिंचाई विभाग में एक अलग कैडर से संबंधित हैं, जहां पदोन्नति पद डिप्टी कलेक्टर है। भूमि अभिलेख निदेशालय में प्रधान सहायक दूसरे संवर्ग के हैं। जहां नियुक्तियां अलग-अलग संवर्गों से होती थीं, उन्हें 'स्थानांतरण' माना जाता था, जबकि एक ही संवर्ग (नायब तहसीलदार से तहसीलदार) के पद पर पदोन्नति को 'पदोन्नति' माना जाता था। इस प्रकार, नियमों के प्रयोजन के लिए, संवर्ग में ऊपर की ओर बढ़ने को 'पदोन्नति' कहा गया था; लेकिन एक अलग कैडर से इसे 'स्थानांतरण' कहा जाता था। नियम 9(2) ने नियम 9(एल)(बी)(ii) के तहत केवल 'पदोन्नति'

---

[6] (6) 2007(3) एस.सी.सी. 102

के लिए भर्ती की विधि के रूप में 'वरिष्ठता-सह-मेरिफ' निर्धारित किया है और नियम 9(1) (ए), यानी नायब तहसीलदार से तहसीलदार और तहसीलदार से जिला राजस्व अधिकारी के पद पर पदोन्नति। यदि इरादा तबादलों के लिए भी भर्ती की पद्धति के रूप में वरिष्ठता-सह-योग्यता निर्धारित करने का था, तो नियम 9(2) में ऐसा प्रावधान किया गया होता। नियम 9(2) में 'पदोन्नति' के संदर्भ को 'स्थानांतरण' के विपरीत, नियम 9(1) में उक्त शब्द 'पदोन्नति' के उपयोग के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, यह इस प्रकार है कि स्थानांतरण के लिए भर्ती का तरीका वरिष्ठता-सह-योग्यता नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है।

(11) वर्तमान मामले में नियम द्वारा विचारित नियुक्ति की प्रकृति पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है अर्थात् चयन द्वारा नियुक्ति। इंद्रजीत खुराना के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचार के आलोक में, इस प्रकार यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति को पदोन्नति के बराबर माना जा सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। 26 जून, 2007 को, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को पर्यवेक्षक के पद के लिए 27 जून, 2007 को अनंतिम साक्षात्कार दिया जाना था क्योंकि साक्षात्कार उक्त तिथि के लिए तय किए गए थे। 2004 के नियमों के तहत पात्रता की शर्त के अधीन। यह भी निर्देश दिया गया कि उसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, सीलबंद लिफाफा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसका हमने अवलोकन किया है। एक बार जब हमने यह मानते हुए विवाद का फैसला कर लिया कि 'पुरानी रिक्ति पुराने नियम' का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा तो सीलबंद लिफाफे को यू.टी. प्रशासन, चंडीगढ़ द्वारा खोला जाना चाहिए और तदनुसार प्रभाव दिया गया क्योंकि चयन प्रक्रिया 2004 के नियमों के अनुसार की गई थी। सीलबंद लिफाफे को दोबारा सील किया जा सकता है और यू.टी. प्रशासन, चंडीगढ़ के विद्वान वकील को सौंपा जा सकता है।

(12) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा